

26.07.24

वाडीगण की ओर से वाह विज्ञा
का प्राप्ता पेशा होने पर फावली
रिकार्ड से तलब होकर पेशा हुआ
वाडीगण को कम्पन किया कि वे
उक्त वाह को आगे नहीं फलाना
चाहते हैं। वाडीगण को सुना
गया। फावली का क्वलोकन
किया गया। वाडीगण द्वारा वाह
विज्ञा का उत्तुल किया गया जो
पता स्वीकार कर वाह वाडीगण
विज्ञा करने की अनुमति पदान
की जाती है तब वाह द्वारा
किया जाता है। मिथल दुर्ज गम्बर
से कम होकर वारिपल दफ्तर हो।

अधिकारी

सौ. शिव

उपखण्ड

Signature

Signature

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी